नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला नजारत शाखा)

संचिका सं0 ..../ पत्रांक 737 / नजा0, दिनांक 07/12/2019

भाड़े पर वाहन रखने के लिए दर निर्धारण हेतु निविदा

नालन्दा समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालयों में पदाधिकारियों के उपयोग के लिए भाड़े पर व्यवसायिक निबंधन वाले वाहन लिया जाना है। इस हेतु भाड़े पर रखे जाने वाले वाहन का दर निर्धारण के लिए वाहन मालिक से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक वाहन मालिक दिनांक 26.12.2019 के अप0 01.00 बजे तक जिला पदाधिकारी के कार्यालय (जिला नजारत शाखा) में निविदा दाखिल कर सकते हैं। प्राप्त निविदा को दिनांक 26.12.2019 को अप0 03.30 बजे जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता स्वंय या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है।

निविदा की शर्त्ते

निविदादाता तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा द्वि–लिफाफा प्रणाली के अंतर्गत अलग–अलग लिफाफा में रखेगें। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता को ही वित्तीय निविदा में शामिल किया जायेगा।

(क) तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रहेंगे:–

1. वाहन का व्यवसायिक निबंधन प्रमाण पत्र।
2. वाहन का बीमा कागजात।
3. वाहन का रोड टैक्स।
4. प्रदूषण / फिटनेस प्रमाण पत्र।
5. वाहन का परमिट संबंधी कागजात।
6. निविदादाता को अग्रधन के रूप में जिला पदाधिकारी के पदनाम से मो0– 5000/– (पांच हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

(ख) वित्तीय निविदा:–

वित्तीय निविदा में वाहन का दर निम्न Format में भर कर दिया जाना है :–

क्र0	वाहन का प्रकार	प्रतिदिन चालक एवं ईंधन सहित।		प्रतिमाह (1500 कि0मी0) चालक एवं ईंधन सहित।		1500 कि0मी0 से अतिरिक्त चलने पर प्रति कि0मी0 की राशि	
		सामान्य	वातानुकूलित	सामान्य	वातानुकूलित	सामान्य	वातानुकूलित
1	जाईलो / स्कॉरपियो						
2	इनोवा / सफारी						
3	बोलरो / सुमो						

(ग) अन्य शर्त्ते

1. वाहन का निबंधन वर्ष 2017 के पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा निबंधन बिहार राज्य के अंतर्गत किसी जिला का होना अनिवार्य होगा।
2. वाहन का दैनिक रख–रखाव, चालक का वेतन, मरम्मति का खर्च आदि का वहन वाहन स्वामी को स्वंय करना होगा। नियमानुसार होनेवाले भाड़े भुगतान में से आयकर की कटौती की जायेगी।
3. भाड़े पर वाहन लेने हेतु वाहन अच्छी हालत में होनी चाहिए। भाड़े पर वाहन लिये जाने से पहले वाहन की जांच एम0भी0आई द्वारा की जायेगी।
4. वाहन माह के प्रतिदिन 24 घंटे ड्राइवर सहित उपयोग हेतु जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। वाहन स्वामी द्वारा ससमय वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर वाहन भाड़े में से आवश्यक कटौती की जायेगी।
5. वाहन वापस लेने हेतु कम से कम एक माह पूर्व सूचना देना होगा।
6. सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उपर्युक्त आशय का एकरारनामा दाखिल करना होगा।
7. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। विशेष जानकारी हेतु दूरभाष सं0– 06112–235223 पर संपर्क किया जा सकता है।
8. प्रकाशित निविदा को जिला के बेवसाइट www.nalanda.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

ई–मेल :–dm-nalanda.bih@nic.in
दूरभाष सं0 :–06112-235204(R), 235203(O)
फैक्स सं0 :– 06112-235205(R), 236854(O)
जिला बेवसाईट :–http://nalanda.bih.nic.in